22/3/22

पत्रावली पेश हुई। पार्थी प्रवीण कुमार एवं इनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर बताया कि (1) उभय पक्ष के मध्य समझौता हो जाने से प्रवीण कुमार प्रार्थना पत्र में अब और आगे कार्यवाही नहीं कराना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस किया गया। अतः पार्थी का प्रार्थना पत्र नोट प्रेस में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohar Singh Meena
Date: 2022.04.01 15:12:01 IST
Reason: SelfAttested